तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
31/01/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि - · ग्राम रामपुरा तहसील लाडपुरा में प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं. 345 रकबा 0.27 हैक्टेयर व खसरा नं. 347 रकबा 0.01 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। · प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख.नं. 345 रकबा 0.27 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है, किन्तु उक्त खसरा नं. का वर्तमान नक्शा ट्रेस 0.17 है. का बना हुआ है। जबकि मौके पर कुल रकबा 0.27 है. मौजूद है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसीयत मालिक व काबिज हैं। - प्रार्थीगण की उक्त आराजी के समीपस्थ ख.नं. 346 रकबा 0.06 है. आराजी स्थित है। उक्त खसरा नं. 346	

उपखण्ड अधिकारी
को...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	वर्तमान में प्रतिवादी क्रम.2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में 0.06 Hect दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भी रकबा पूर्ण है, किन्तु उक्त खसरा नं. 346 का नक्शा ट्रेस वर्तमान में 0.19 Hect बना हुआ है। इस प्रकार उक्त खसरा नं. का नक्शा ट्रेस 0.13 Hect बढ़ा हुआ है।	
	प्रार्थना - " प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख.नं. 345 रकबा 0.29 Hect के वर्तमान नक्शा ट्रेस में रकबा बराबरी कर नाप से कमी 0.10 Hect की दुरुस्ती कर सम्बन्धित ख.नं. 346 के नाप में बढ़े 0.13 Hect से दुरुस्ती की जाकर प्रार्थीगण की आराजी का नक्शा ट्रेस रिकार्ड में दर्ज रकबा अनुसार दुरुस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।"	
उपखण्ड अधिकारी कोटा	प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।	न्यायालय ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
2	* अप्रार्थी क्रमांक ① तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि - - ग्राम रामपुरा के खसरा नं. 345 रकबा 0.27 Hct चन्द्रप्रकाश पुत्र रतनलाल महाजन वगैरह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। - ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 345 का नक्शा शीट अनुसार रकबा लगभग 0.20 Hct है। - ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 346 रकबा 0.06 Hct नगर विकास न्यास कोटा के नाम पर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। - ग्राम रामपुरा के ख.नं. 346 का नक्शा शीट के अनुसार रकबा लगभग 0.19 Hct है। * अप्रार्थी क्रम ② नगर विकास न्यास (KDA) द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि	

3

उपखण्ड अधिकारी को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथम दृष्टतया मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 136 LR ACT दूसरा पक्ष सहमत हो तो ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिये उक्त प्रार्थनापत्र अप्रार्थी असहमत होने से प्रथम दृष्टतया ही खारिज किये जाने योग्य है।	
	- धारा 98 UTJ-ACT के तहत दो माह का नोटिस नहीं देने के कारण भी उक्त प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है।	
	- प्रार्थनापत्र आपस में विरोधाभाषी है और प्रार्थीगण द्वारा कोई तारीख भी अंकित नहीं की गई है, इसीलिए असत्य कथन होने से प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
3/	- प्रार्थनापत्र पूर्णतया से कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि न तो प्रार्थनापत्र में नक्शा ट्रेस को नपवाने की तारीख अंकित है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसीलिये कयास के आधार पर प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है।	
	- सेटलमेन्ट हुये 40 साल से भी अधिक हो गये है और UIT जो अभी KDA है, को भूमि को मिले 18 वर्ष से अधिक हो गये हैं, इसीलिये महज भूमि को हड़पने की नियत से यह झूठा व आधारहीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।	
	बहस बहुलाय फरीकैन सुनी गई।	
	हमने पत्रावली व संलग्न अभिलेखों	

उपखण्ड अधिकारी
को

का आद्योपान्त अध्ययन किया व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस वकलाय फरीकैन पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। अप्रार्थी क्रमांक (1) तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्पष्टतया अंकित किया गया है कि खसरा नं. 345 का रकबा राजस्व रिकार्ड में 0.27 Hect दर्ज है जबकि रकबा बरारी करने पर नक्शा शीट में रकबा लगभग 0.20 Hect आता है, इसी प्रकार खसरा नं. 346 का रकबा राजस्व रिकार्ड में 0.06 Hect दर्ज है जबकि रकबा बरारी करने पर नक्शा शीट में रकबा 0.19 Hect आता है। तहसीलदार लाडपुरा के उक्त अभिवचन से विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्र. (2) का यह कथन कि नक्शा ट्रेस भी नपवाने की ना तो कोई लिखित दी गई और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, असत्य प्रमाणित हो जाता है।	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
5)	उक्त परिस्थितियों में जबकि संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि नक्शा शीट में खसरा नं. 345 का रकबा कम बताया गया है तथा उक्त रकबा समीपस्थ खसरा नं. 346 में बढ़ाया गया है, इस प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।	
	अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा के खसरा नं. 345 जिसका रकबा जमाबन्दी में 0.27 H.c दर्ज है, का रकबा नक्शा शीट में भी खसरा नं. 346 में से	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	कम करते हुए 0.27 हे० दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 31/01/2025 को मेरे द्वारा लिखकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 31/01/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	